# SHEET NO. 1

Applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding to further construction.

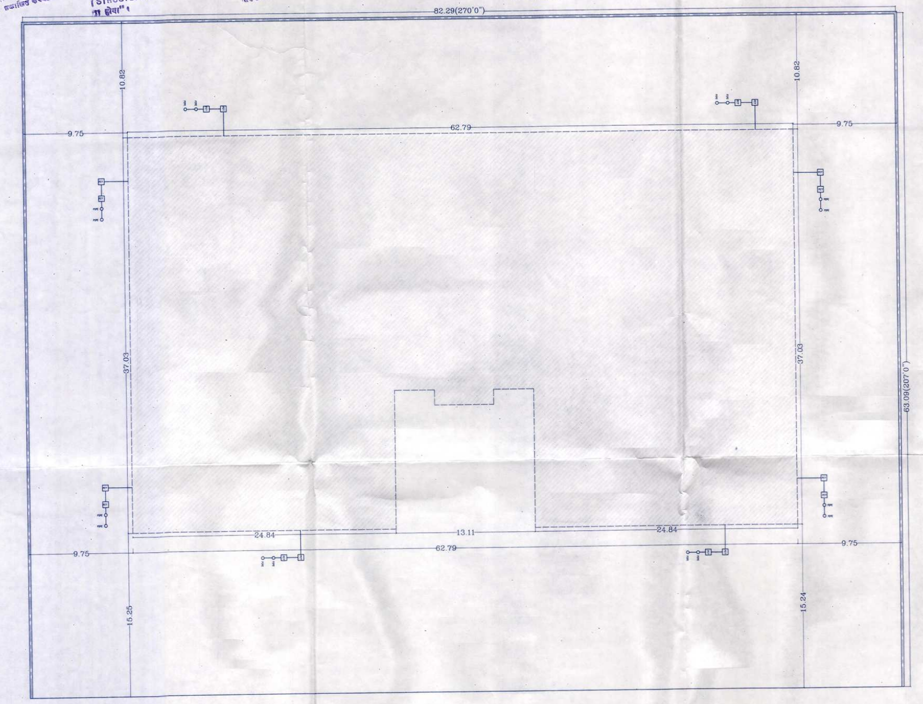


TO JAIPUR ⟵ N.H.-12 120'0" WIDE ⟶ TO KOTA

## SITE PLAN & WATER HARVESTING

SCALE = 1:200

AREA DETAIL:-

| S.NO. | FLOOR | BUILT-UP AREA (Sq.Mt.) | F.A.R. (Sq.Mt.) | GROSS BUILT-UP AREA (Sq.Mt.) | CORRIDOR AREA (Sq.Mt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOWER BASEMENT | 4316.8 | 0.0 | 4316.8 | 0.0 |
| 2. | UPPER BASEMENT | 4316.8 | 0.0 | 4316.8 | 0.0 |
| 3. | LOWER G. FLOOR | 2196.45 | 1170.60 | 3214.56 | 960.95 |
| 4. | UPPER G. FLOOR | 2066.65 | 1461.17 | 2123.98 | 461.14 |
| 5. | FIRST | 2066.65 | 1336.36 | 2368.32 | 594.89 |
| 6. | SECOND | 2066.65 | 1336.36 | 2368.32 | 594.89 |
| 11. | MUMTY& LIFT | 223.10 | -- | 223.10 | -- |
| 12. | TOTAL | 17253.10 | 5304.49 | 18931.88 | 2882.67 |

| S.NO. | REFERENCE :- |
|---|---|
| 1. | 270'x207' = 6210 SQyd. or 5192.30 sqmt |
| 2. | PROPOSED F.AR. = 7126.27 Sq.Mt. |
| 3. | E.C.U. REQUIRED = 7126.27 /50=142.52+25% = 178 ECU |
| 4. | E.C.U. PROPOSED = 293 CARS + 211 SCOOTERS |

| S.NO. | |
|---|---|
| 1. | PERMISSIBLE CORRIDOR =1060.89 Sq.Mt. |
| 2. | Achieved CORRIDOR =2882.67 Sq.Mt. |
| 3. | Exceed CORRIDOR =1821.78 Sq.Mt. |
| | Nat F.AR. Achieved =5304.49+1821.78 =7126.27 Sq.Mt. |

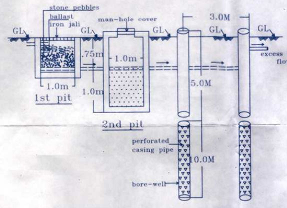


SECTION THROUGH R.W. HARWESTING PITS

SCALE = 1:100

| PROJECT:- | | ARCHITECT:- |
|---|---|---|
| PROPOSED COMMERCOAL BUILDING AT KH. N0-307,GRAM RAMPURA RUPA DUGGAR GARDEN, TONK ROAD JAIPUR | For Sarvottam Buildhome Pvt. Ltd. Director/Auth.Sign. OWNER | SPACE GRID C-49 VIDYA APPARTMENT BAPU NAGAR JAIPUR 9314510603 |

KUMAWAT S. KUMAR ARCHITECT CA / 2000 / 25100

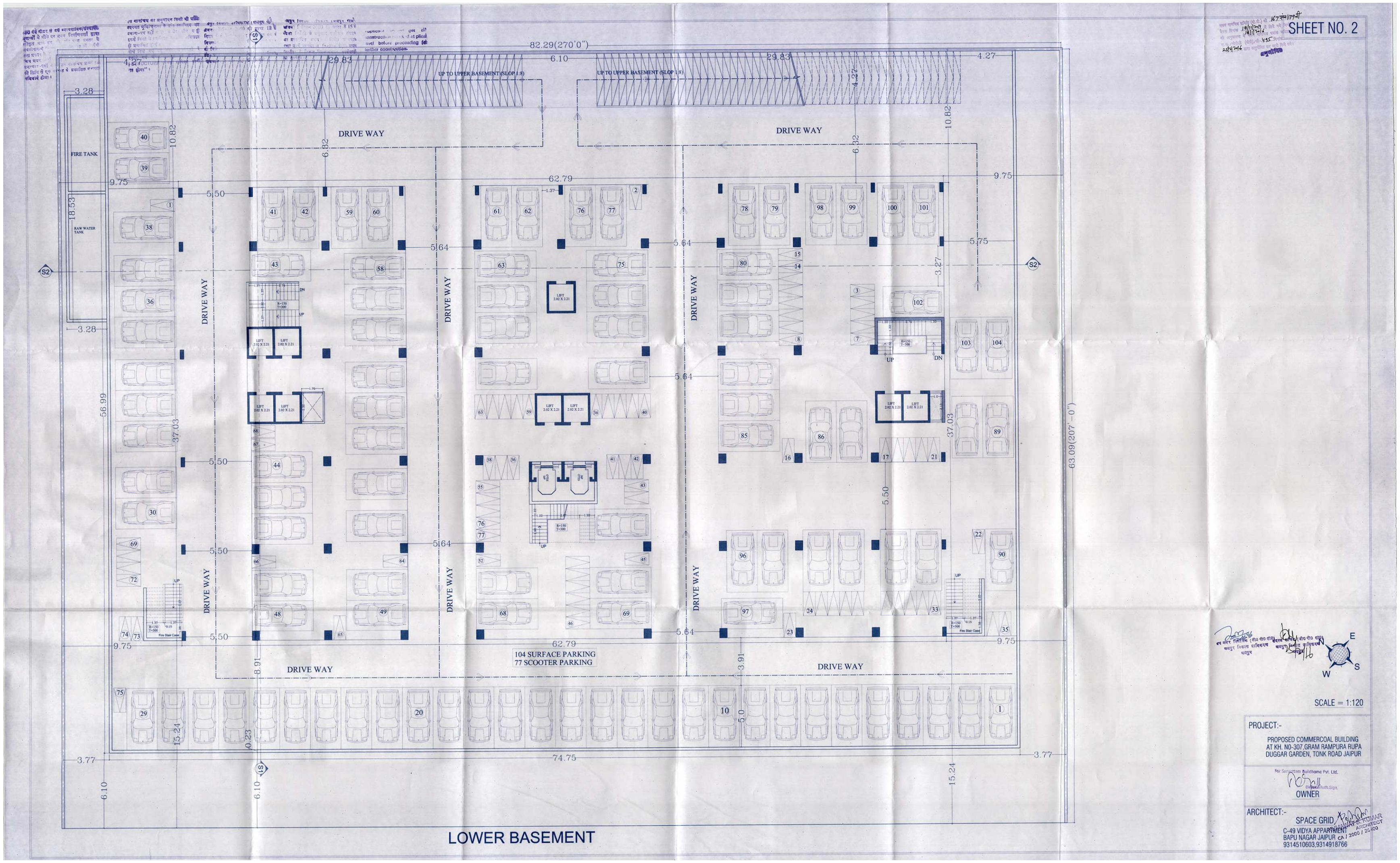

SHEET NO. 2
82.29(270'0")
UP TO UPPER BASEMENT (SLOP 1:8)
DRIVE WAY
FIRE TANK
RAW WATER TANK
LIFT
104 SURFACE PARKING
77 SCOOTER PARKING
63.09(207'-0")
74.75
SCALE = 1:120
PROJECT:-
PROPOSED COMMERCOAL BUILDING
AT KH. N0-307,GRAM RAMPURA RUPA
DUGGAR GARDEN, TONK ROAD JAIPUR
OWNER
ARCHITECT:-
SPACE GRID
C-49 VIDYA APPARTMENT
BAPU NAGAR JAIPUR
9314510603,9314918766
LOWER BASEMENT

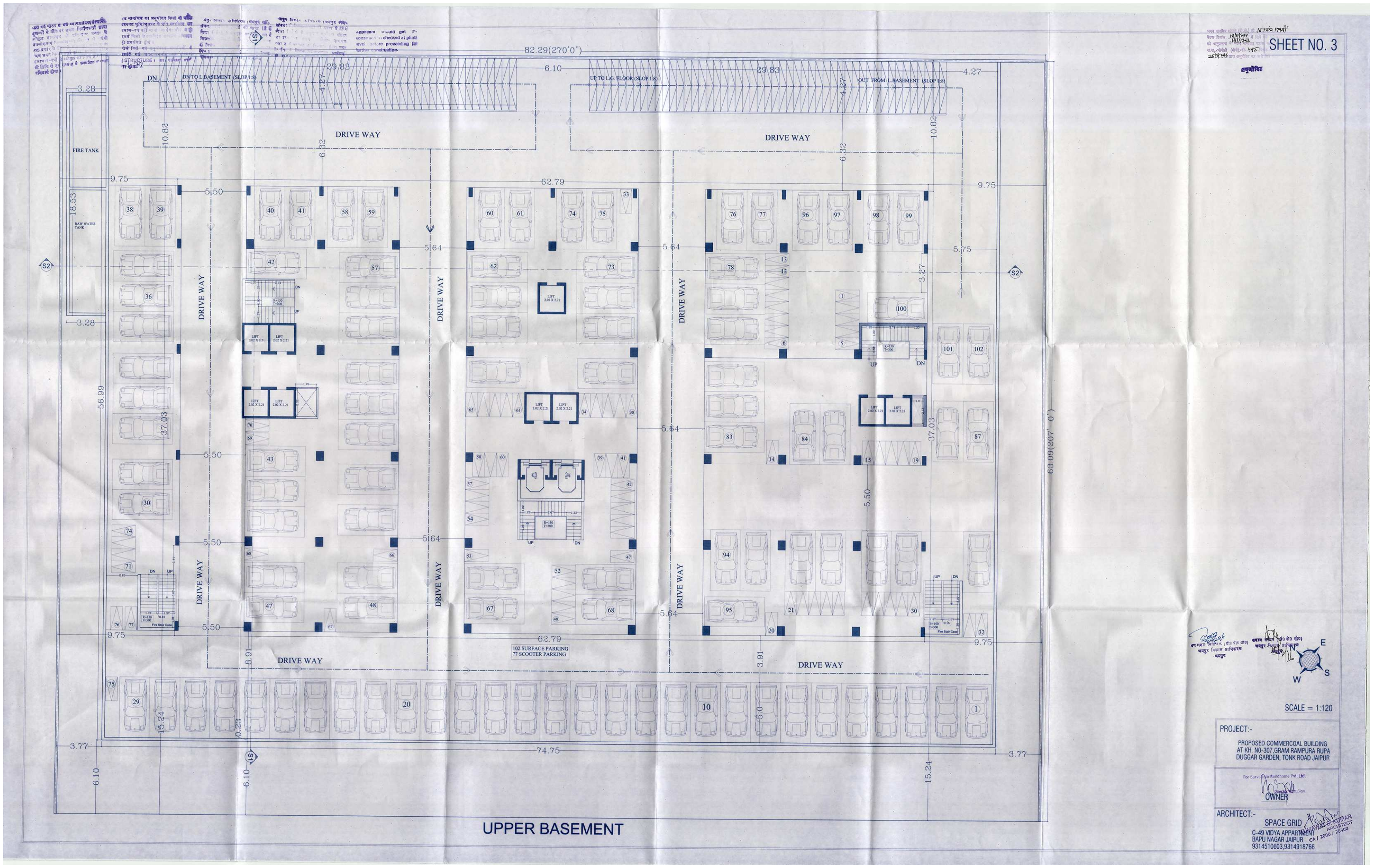
SHEET NO. 3
82.29(270'0")
DN TO L.BASEMENT (SLOP 1:8)
UP TO L.G. FLOOR (SLOP 1:8)
OUT FROM L.BASEMENT (SLOP 1:8)
DRIVE WAY
FIRE TANK
RAW WATER TANK
LIFT
102 SURFACE PARKING
77 SCOOTER PARKING
62.79
74.75
63.09(207'0")
SCALE = 1:120
PROJECT:-
PROPOSED COMMERCOAL BUILDING
AT KH. N0-307,GRAM RAMPURA RUPA
DUGGAR GARDEN, TONK ROAD JAIPUR
For Sarvottam Buildhome Pvt. Ltd.
Director/Auth. Sign.
OWNER
ARCHITECT:-
SPACE GRID
C-49 VIDYA APPARTMENT
BAPU NAGAR JAIPUR
9314510603,9314918766
KUMAWAT S. KUMAR
ARCHITECT
CA / 2000 / 26400
UPPER BASEMENT

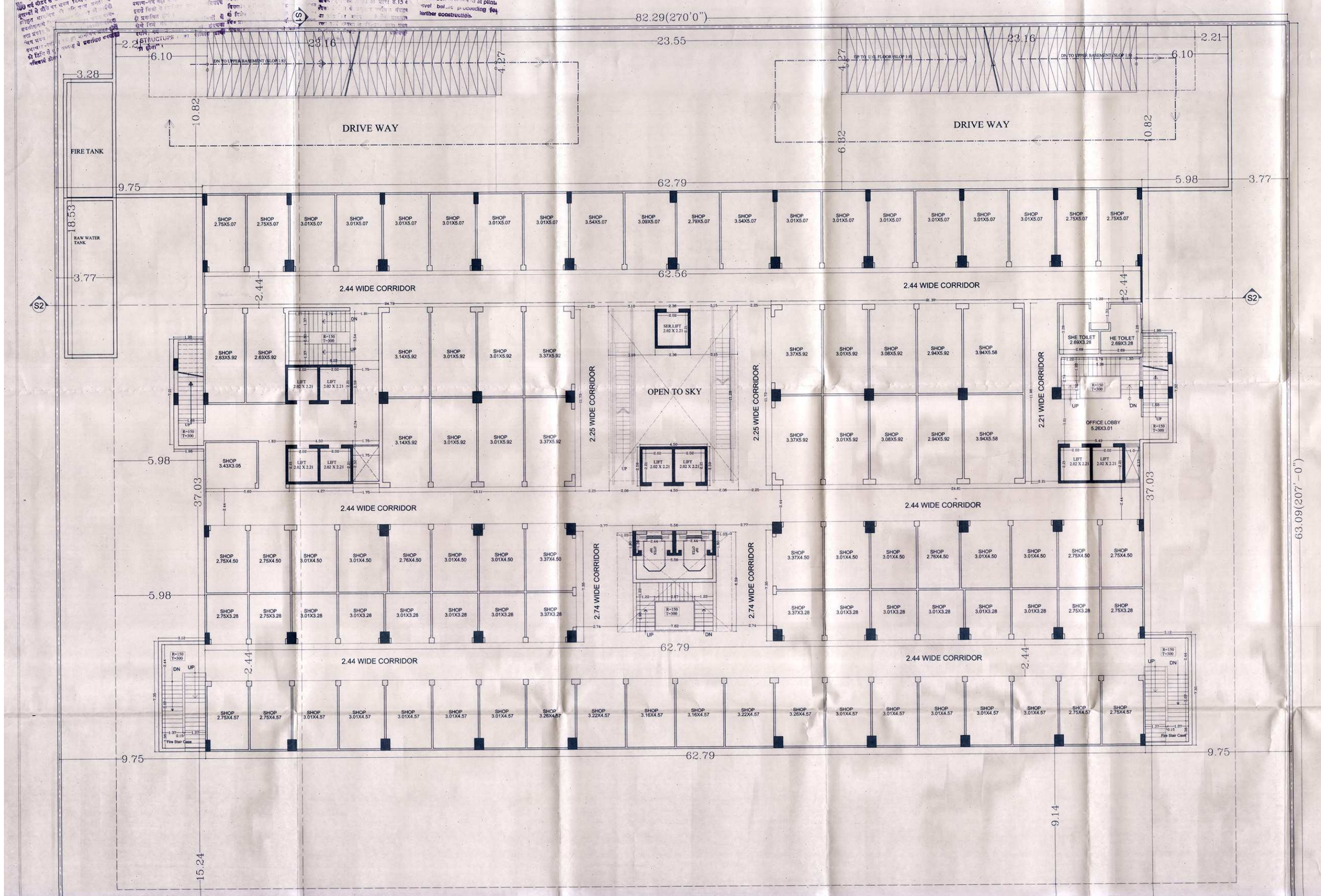


LOWER G. FLOOR

SCALE = 1:120

PROJECT:-

PROPOSED COMMERCOAL BUILDING
AT KH. N0-307,GRAM RAMPURA RUPA
DUGGAR GARDEN, TONK ROAD JAIPUR

For Sarvottam Buildhome Pvt. Ltd.
Director/Auth.Sign.

OWNER

ARCHITECT:-

SPACE GRID
C-49 VIDYA APPARTMENT
BAPU NAGAR JAIPUR
9314510603,9314918766

SHEET NO. 5

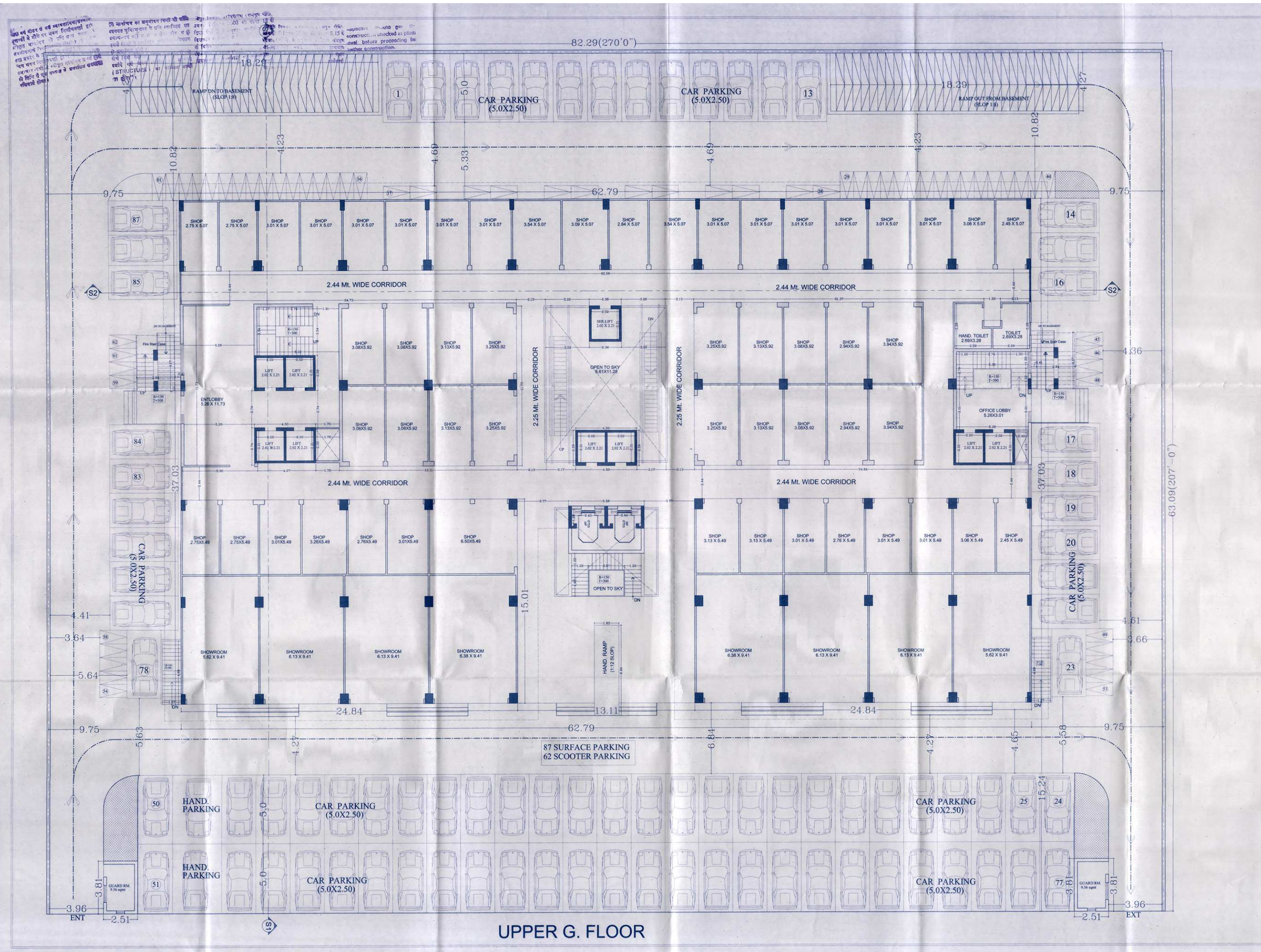


UPPER G. FLOOR

SCALE = 1:100

PROJECT:-
PROPOSED COMMERCOAL BUILDING
AT KH. N0-307,GRAM RAMPURA RUPA
DUGGAR GARDEN, TONK ROAD JAIPUR

For Sarvottam Buildhome Pvt. Ltd.
Director/Auth.Sign.
OWNER

ARCHITECT:-
SPACE GRID
C-49 VIDYA APPARTMENT
BAPU NAGAR JAIPUR
9314510603,9314918766

KUMAWAT S. KUMAR
ARCHITECT
CA / 2000 / 26400

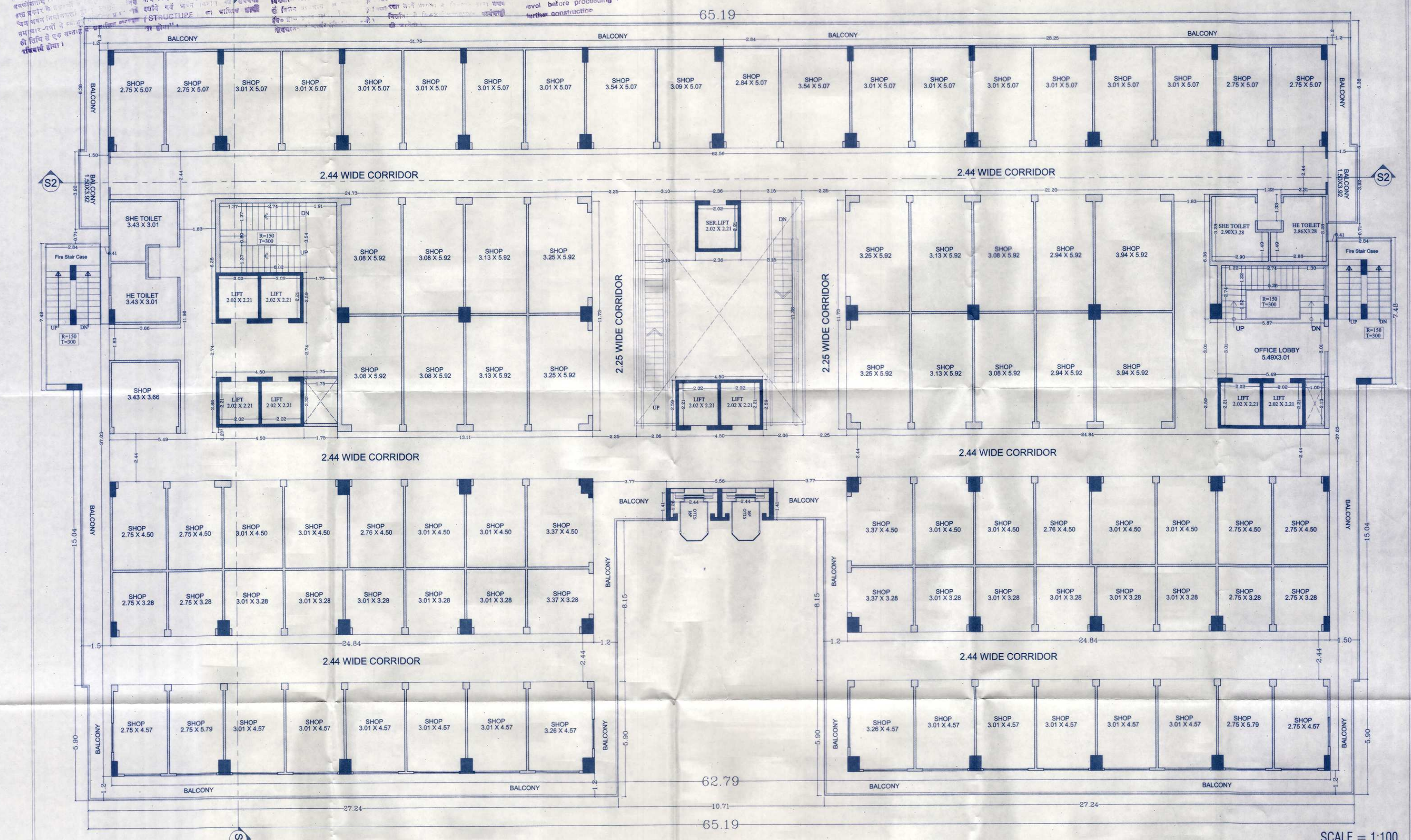


# 1st & 2nd Floor Plan

SCALE = 1:100

N E S W

PROJECT:-
PROPOSED COMMERCOAL BUILDING
AT KH. NO-307,GRAM RAMPURA RUPA
DUGGAR GARDEN, TONK ROAD JAIPUR

For Sarvottam Buildhome Pvt. Ltd.
Director/Auth.Sign.
OWNER

ARCHITECT:-
SPACE GRID
C-49 VIDYA APPARTMENT
BAPU NAGAR JAIPUR
9314510603,9314918766

KUMAWAT S. KUMAR
ARCHITECT
CA / 2000 / 26400

## SHEET NO. 7

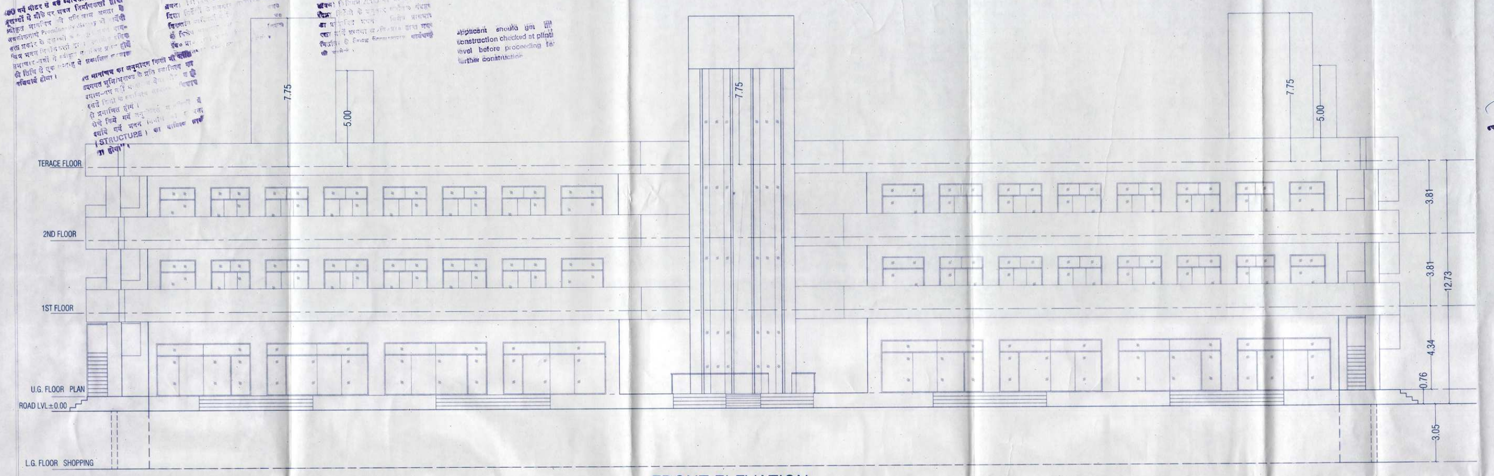


FRONT ELEVATION

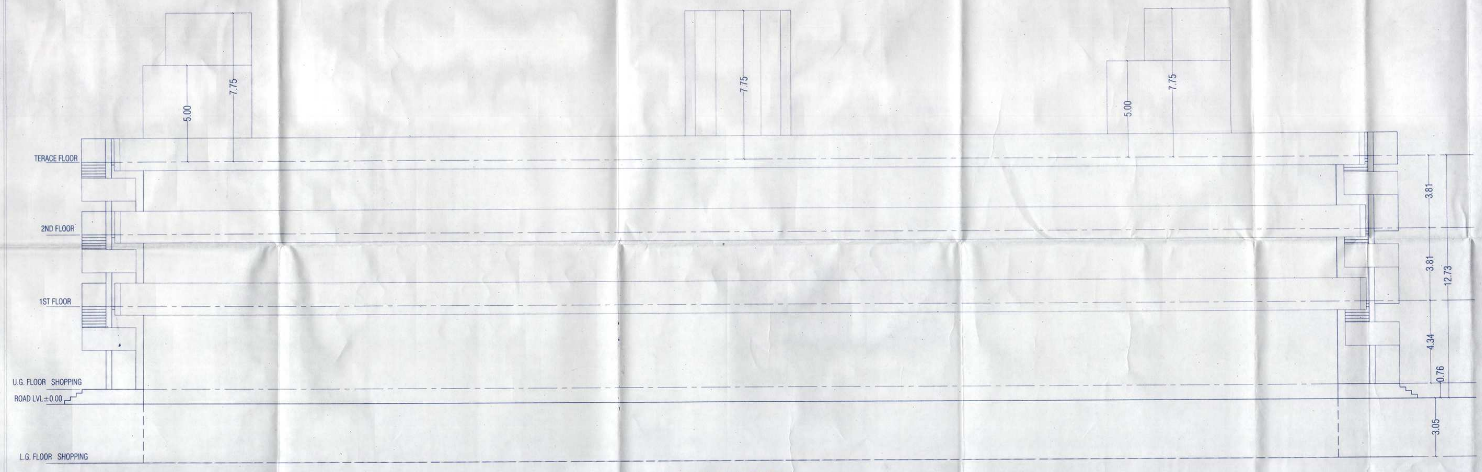


REAR SIDE ELEVATION

SCALE = 1:100

PROJECT:-

PROPOSED COMMERCOAL BUILDING
AT KH. N0-307, GRAM RAMPURA RUPA
DUGGAR GARDEN, TONK ROAD JAIPUR

For Sarvottam Buildhome Pvt. Ltd.
Director/Auth.Sign.

OWNER

ARCHITECT:-

SPACE GRID

C-49 VIDYA APPARTMENT
BAPU NAGAR JAIPUR
9314510603,

Applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

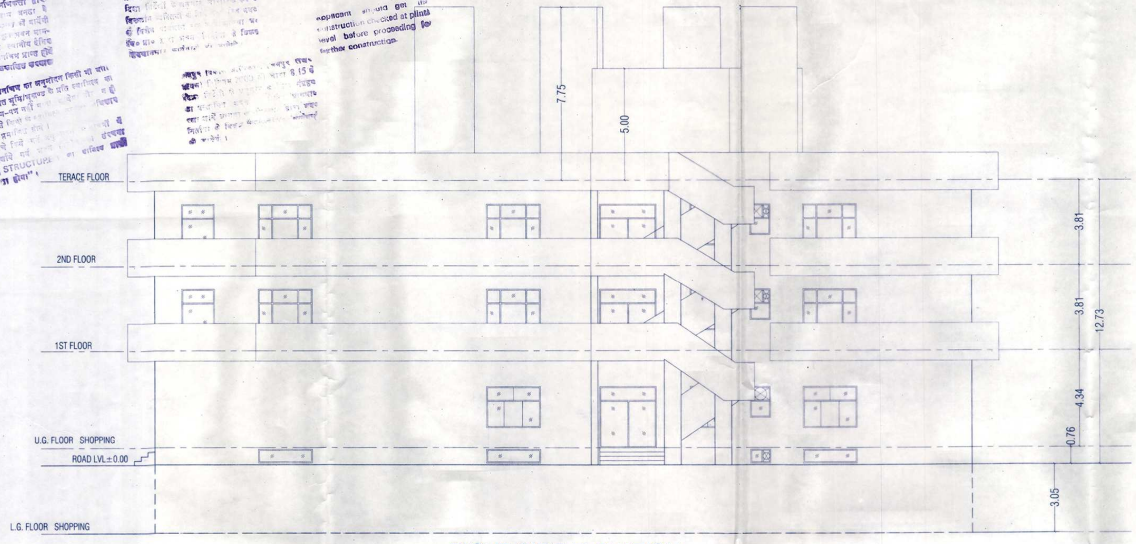


RIGHT SIDE ELEVATION

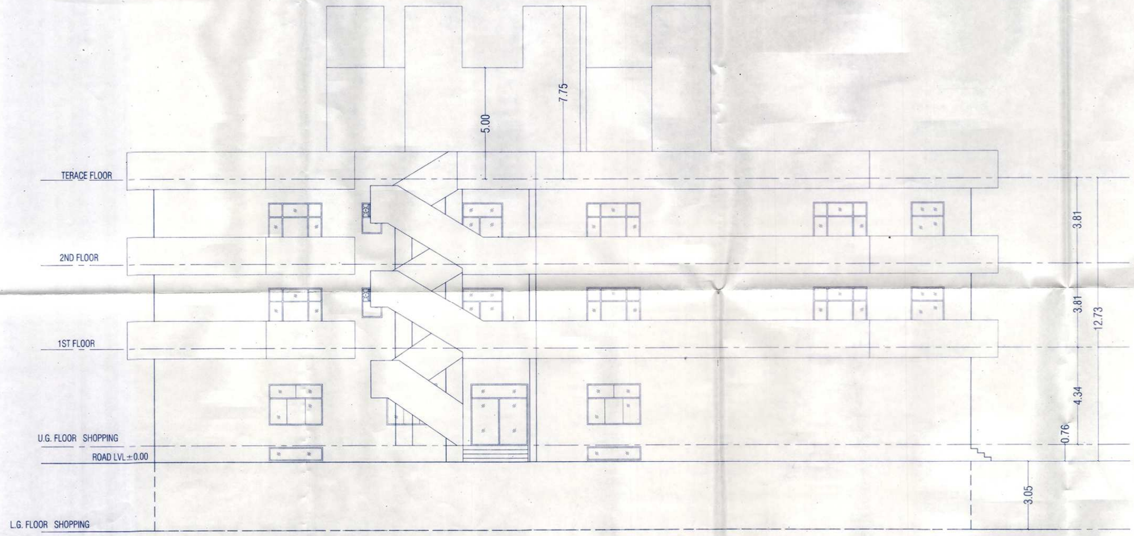


LEFT ELEVATION

SHEET NO. 8

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 167 एवं 179 वीं बैठक दिनांक 18/11/2014 18/1/2016 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/ स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-495 दिनांक 25/2/2016 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

अनुमोदित

उप नगर नियोजक, (बी० पी० सी०) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

सदस्य सचिव (बी० पी० सी०) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

SCALE = 1:100

PROJECT:-

PROPOSED COMMERCOAL BUILDING
AT KH. N0-307,GRAM RAMPURA RUPA
DUGGAR GARDEN, TONK ROAD JAIPUR

For Sarvottam Buildhome Pvt. Ltd.

Director/Auth.Sign.

OWNER

ARCHITECT:-

SPACE GRID

C-49 VIDYA APPARTMENT
BAPU NAGAR JAIPUR
9314510603,

KUMAWAT S. KUMAR
ARCHITECT
CA / 2000 / 26400

SHEET NO. 9

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction

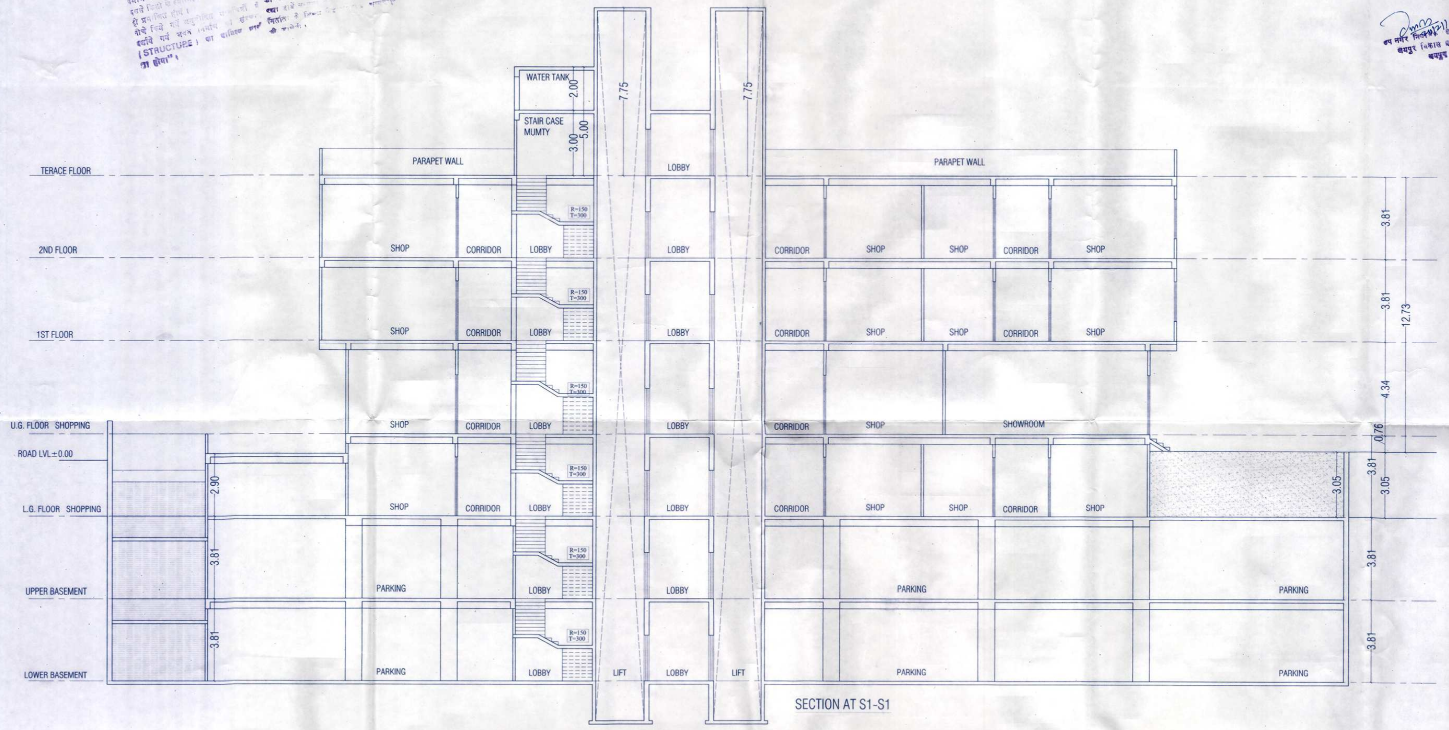


SECTION AT S1-S1

SCALE = 1:100

PROJECT:-

PROPOSED COMMERCOAL BUILDING
AT KH. NO-307,GRAM RAMPURA RUPA
DUGGAR GARDEN, TONK ROAD JAIPUR

For Sarvottam Buildhome Pvt. Ltd.

OWNER

ARCHITECT:-

SPACE GRID
C-49 VIDYA APPARTMENT
BAPU NAGAR JAIPUR
9314510603,

KUMAWAT S. KUMAR
ARCHITECT
CA / 2000 / 26400

## SHEET NO. 10

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding further construction

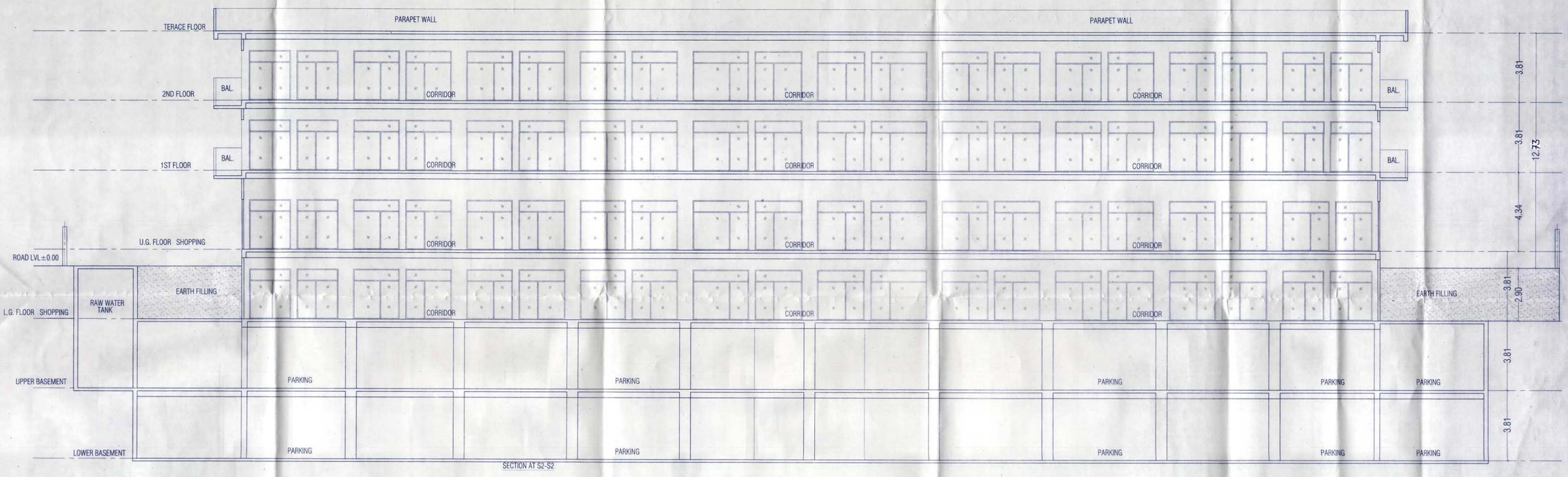


SCALE = 1:100

PROJECT:-

PROPOSED COMMERCOAL BUILDING
AT KH. N0-307,GRAM RAMPURA RUPA
DUGGAR GARDEN, TONK ROAD JAIPUR

For Sarvottam Buildhome Pvt. Ltd.
Director/Auth.Sign.

OWNER

ARCHITECT:-

SPACE GRID

KUMAWAT S. KUMAR
ARCHITECT
CA / 2000 / 26400

C-49 VIDYA APPARTMENT
BAPU NAGAR JAIPUR

# SHEET NO. 11

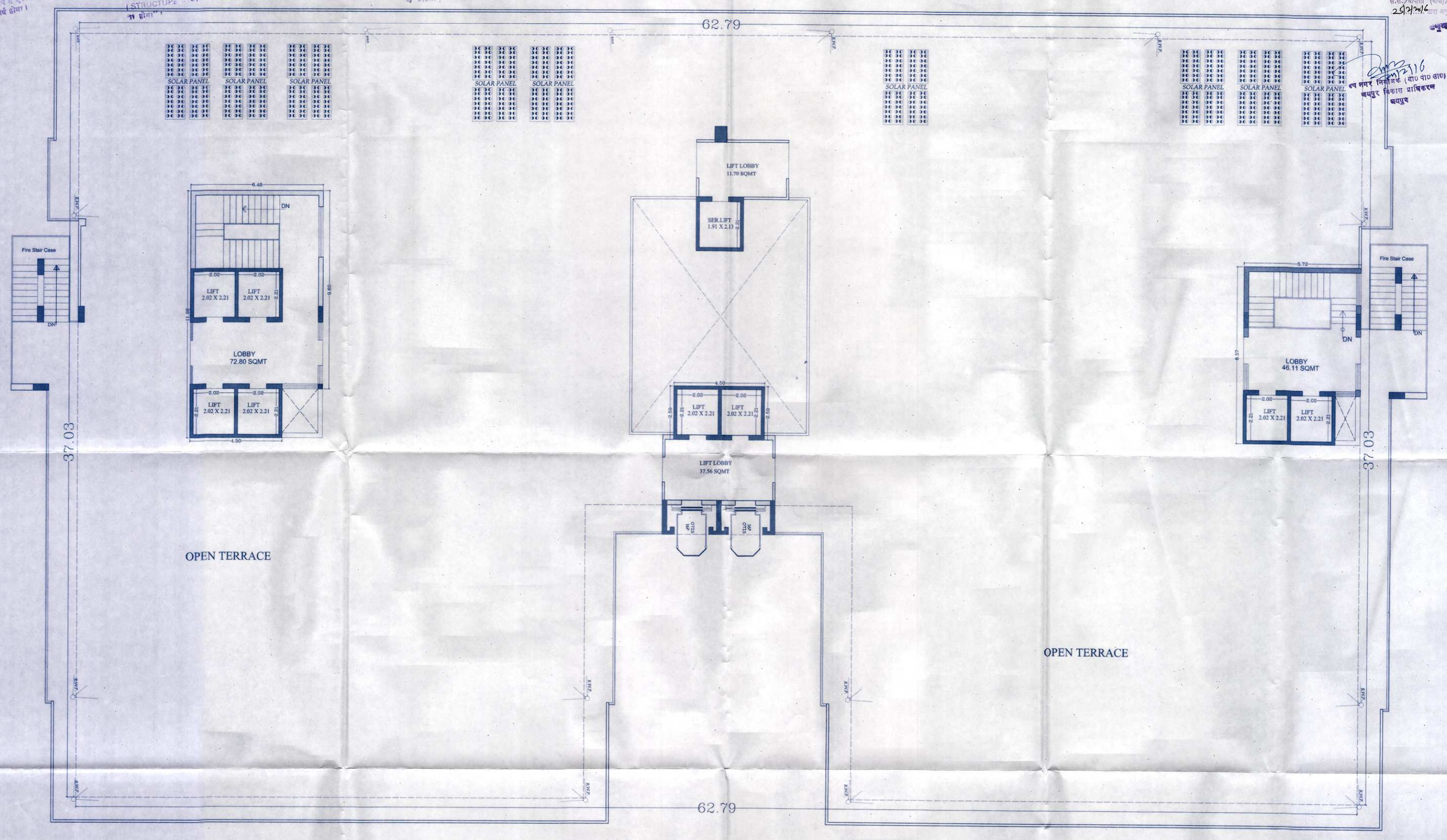


## TERRACE FLOOR PLAN

SCALE = 1:100

| PROJECT:- | OWNER | ARCHITECT:- |
|---|---|---|
| PROPOSED COMMERCOAL BUILDING AT KH. N0-307,GRAM RAMPURA RUPA DUGGAR GARDEN, TONK ROAD JAIPUR | For Sarvottam Buildhome Pvt. Ltd. Director/Auth. Sign. OWNER | SPACE GRID C-49 VIDYA APPARTMENT BAPU NAGAR JAIPUR 9314510603 KUMAWAT S. KUMAR ARCHITECT CA / 2000 / 26400 |

# जयपुर विकास प्राधिकरण; जयपुर।

ज.वि.प्रा. / स.स. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2016 / डी–495 दिनांकः– 25/2/2016

मैसर्स सर्वोत्तम बिल्डहोम प्रा.लि.,
जरिये निदेशक,
दुग्गड़ गार्डन, लक्ष्मी मंदिर के पास,
टोंक रोड़, जयपुर।

विषय :– खसरा नम्बर 307, ग्राम–रामपुरारूपा, दुग्गड़ गार्डन, टौंक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2013 के संदर्भ में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 307, ग्राम–रामपुरारूपा, दुग्गड़ गार्डन, टौंक रोड़, जयपुर में स्थित भूखण्ड़ (5192.51 वर्गमीटर क्षेत्रफल) पर 12.73 मीटर ऊँचाई (बेसमेन्ट–1 + बेसमेन्ट–2 + लोअर ग्राउण्ड + अपर ग्राउण्ड + 2 मंजिल) के प्रस्तावित वाणिज्यिक के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 167वीं बैठक दिनांक 18.11.2014 एवं 179वीं बैठक दिनांक 18.01.2016 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:–

1. यह भवन अनुज्ञा माह मार्च–2023 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान / जोनल प्लान / भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त / उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन–01 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 01 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत वाणिज्यिक ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें।
15. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
16. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
17. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (**Escape Plan**) का नक्शा भी प्रदर्शित (**Display**) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
19. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास. प्लान (**Escape Plan**) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं **Land Line Number** भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
20. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में ''गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।''
21. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
22. उपायुक्त जोन–01 के पत्र दिनांक 19.04.2008 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड से सड़क सीमा में आ रही 390 वर्गगज भूमि (13' X 270') को कम करते हुए शेष 6210 वर्गगज भूमि का भू–उपयोग संस्था से वाणिज्यिक राजस्थान राजपत्र में धारा 25(1) की अधिसूचना के प्रकाशन व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.05.2007 के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। अतः उक्त पत्रानुसार यह स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.05.2007 के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (11 मानचित्र)

भवदीय

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–01, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन–01, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. अधिशाषी अभियन्ता, बीपीसी–द्वितीय, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।